an>

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of Rural Development on 21.07.16 to Starred Question No. 61 regarding 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take up Half-an-hour Discussion. Shri Dushyant Chautala

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आधे घंटे की चर्चा इस सदन में इस सत्र में पहली बार हो रही है, और खास तौर पर ऐसे विषय पर जो आम ग्रामवासी से जुड़ा हुआ है, देश के देहात को सड़कों से जोड़ने की जो योजना है, उसके साथ संबंध रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2000 में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सदन के अंदर प्रधान मंत्री सड़क योजना को इनिशिएट किया था। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से यह सपना लिया गया था कि देश के कोने-कोने में, जहाँ-जहाँ जो-जो गाँव सड़कों से कनेक्टिड नहीं हैं या जहाँ हिली एरियाज के अन्दर, ट्राइबल एरियाज के अन्दर, रफ ट्रेन्स के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट सड़कें नहीं बना सकती, इस योजना के तहत हम उन सब गाँवों को डीजल के ऊपर सेस लगाकर, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से फंड लेकर जोड़ने का प्रयास करेंगे।

महोदय, बहुत लम्बा सफर हो गया, आज इस योजना को 15 साल हो गए, मगर आज भी 37 परसेंट जो इनिशियल इस योजना के तहत एरिया नापा गया था, उसको आज तक हम इन सड़कों के माध्यम से कनेक्ट नहीं कर पाए। थ्रू रोड्स और लिंक रोड्स को डेवलप करने के लिए केन्द्र सरकार ने डीजल के ऊपर सेस लगाया, जिसके माध्यम से अनेकों प्रदेशों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से 100 परसेंट, क्योंकि फेज वन में यह केन्द्र प्रायोजित योजना थी, उस समय विकास कार्यों की प्रगति तेज चली। वर्ष 2013 के अन्दर जब प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का द्वितीय वर्जन आया तो हमें देखने को मिला कि इसको भी सेन्ट्रल और स्टेट के अन्दर डिवाइड करके 60:40 और रफ ट्रेन्स जो हिली एरियाज हैं, उनके अन्दर 90:10 के रेश्यो के अन्दर स्टेट प्रपोर्शन भी इसके अन्दर डाला गया है। निरन्तर उसके बाद जो प्रगति इस योजना के माध्यम से सड़कों के विकास की होनी चाहिए थी, आज कहीं न कहीं उसके अन्दर हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। जिन प्रदेशों के पास पैसा था, उन प्रदेशों ने पूरी तौर पर इस योजना का लाभ उठाया और जिन प्रदेशों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि बार-बार केन्द्र सरकार कहती है कि यह प्रदेश का विÂ◌ाय है, आज हमें प्रदेशों में देखने को मिलता है कि उसके अन्दर सड़कों के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया है। जब यह सवाल लोक सभा के अन्दर उठा था, हमारी साथी भारतीय जनता पार्टी की डॉ0 हिना गावीत जी ने यह सवाल उठाया और पूछा कि सड़कें 10 किलोमीटर लिखकर कागजों पर आती हैं, मगर जब डेवलपमेंट की बात आती है तो 6, 6.5 या 7 किलोमीटर पर जाकर रूक जाती हैं। अनेकों साथियों ने उस रोज यह भी प्रश्न रखा कि सड़कों का काम तो हो जाता है, इस योजना के माध्यम से जो कानून है, उसके अन्दर जो बिडर है, 5 साल तक उस सड़क को मैन्टेन करने का जो प्रावधान है, उसके तहत उसे उस सड़क को मैन्टेन करके भी रखना पड़ता है। बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि आज प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो सड़कें बनी हैं, अगर आज उनकी हालत देखें तो 5 साल से पहले भी वे सड़कें पूरी तौर पर खंडहर का रूप ले लेती हैं।

महोदय, सरकार की ओर से लोक सभा के अन्दर एक जवाब दिया गया और कहा गया कि थ्री लेयर कम्पलेंट सिस्टम है और जब हमने कम्पलेंट्स देखने का काम किया तो बिहार जैसे प्रदेश के अन्दर अधिकतम तादाद में कम्पलेंट्स आईं। कई ऐसे प्रदेश थे, जहाँ एक भी कम्पलेंट रजिस्टर नहीं हुई। सरकार डिजिटल इण्डिया की बात करती है, एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप सारा डेटा ले सकते हैं। डिजिटल इण्डिया के जमाने के अन्दर उस ऑनलाइन वेबसाइट को जब मैंने खोलने का काम किया तो पिछले 2.5 साल के अन्दर हरियाणा प्रदेश की एक सड़क का भी अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला।

महोदय, बड़ा दुख होता है कि जमाना इतनी तेज रफ्तार से चल रहा है, मगर ग्रामीण विकास मंत्रालय कहीं न कहीं हमारे गाँव-देहात को डेवलप करने की जो गति है, उसको पूरी तौर पर नहीं पकड़ सकता। इस साल का बजट हमने देखा, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि हमने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्दर पैसे की बढ़ोत्तरी करने का काम किया है। वहीं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रूरल डैवलपमैंट ने जब अपनी रिपोर्ट रखी तो पता चला कि 2012 के अंदर 24 हजार करोड़ रुपये इस योजना में दिये गये और 2016 में सरकार ने केवलमात्र 19 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया गया। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि देश की प्रगति का रास्ता गाँव से आता है। अटल जी ने उस योजना को भी शुरू किया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम देश की प्रगति का रास्ता जो गाँव से आता था, उसके अंदर बाधा डालने का काम कर रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन के 5 मई के जवाब को देख रहा था तो उसमें पता चला कि स्टेटवाइज़ वेरियेशंस हैं। बिहार जैसे प्रदेश के अंदर केन्द्र सरकार 3000 करोड़ रुपये देती है, प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपये देती है और कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपये सड़कों के लिए इनवैस्ट किया जाता है। वहीं अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा को केवलमात्र 124 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह वेरियेशन क्यों है? अगर जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या हरियाणा के बराबर है। छत्तीसगढ़ को 718 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। पंजाब तो हरियाणा से बड़ा है, लेकिन पंजाब को 135 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। आज हम बात करें तो सरकार बार-बार यह विÂषय रखती है कि सड़कें अपग्रेड नहीं हो सकतीं। सड़कें अपग्रेड कैसे होंगी, जब आपने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं? सरकार कहती है कि थ्रू रोड प्लेन एरिया के अंदर 7.5 मीटर की होनी चाहिए और लिंक रोड 6 मीटर की होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस योजना के लिए जो डाटा यूज़ करते हैं, आज के दिन जब हमारे पास 2011 का सैंसैक्स है, हम आज के रोज़ भी इस योजना के लिए 2001 के सैंसस का डाटा यूज़ करते हैं। 2001 में जिस गाँव की आबादी 400 लोगों की थी, आज बढ़कर वह 500 का आँकड़ा क्रॉस कर गई है। मगर जब इस योजना को बनाया जाता है आज नए बजट के अंदर, तो हम फिर 2001 के डाटा को यूज़ करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में क्या सरकार जब इस योजना के अंदर नया फेज़ लाने की बात करेगी, तो क्या 2011 के सैंसस के माध्यम से जो 500 की आबादी वाले प्लेन्स के गाँव हैं और खास तौर पर जैसे मेरा लोक सभा चुनाव क्षेत्र है, उसके अंदर तो ढाणियों में लोग बसते हैं और पानी के जुगाड़ के अंदर कोसों मील खेतों में जाकर बसने का काम करते हैं, आज उसके अंदर सौ गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन डेली की है। क्या उन छोटे गाँवों की गामियों को भी आप इस माध्यम से कवर करने का काम करेंगे?

सभापति जी, जिस दिन माननीय सदस्य मीणा जी द्वारा यह सवाल उठाया गया, उन्होंने भी यह विÂ◌ाय रखा कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे प्रदेश में आज के दिन भी पानी की किल्लत के कारण छोटे-छोटे गाँव जाकर बस गए। क्या इस योजना के अंदर जिस तरह आपने हिली एरियाज़ में तीन और पौने चार मीटर की थ्रू और लिंक रोड्ज़ को किया है, क्या हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी इस योजना को कॉम्पैक्ट करने का काम आप करेंगे, जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों तक इस सुविधा को पहुँचाने का काम कर पाएँ? जब मैं योजना पढ़ रहा था तो पता चला कि इस योजना के तहत ड्रेनेज सिस्टम प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ सरकार को बनाना पड़ता है। आज अगर हम देश के किसी भी कोने में चले जाएँ तो एक भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं है, जिसके साथ आपके मंत्रालय ने योजना के तहत ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम किया है। एक ओर तो हम बात करते हैं कि हम पानी को स्टोर करने का काम करेंगे। आपका ही विभाग है, जिसके द्वारा एनआरडीडब्लूपी, जो वाटर का प्रोग्राम है और एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमैंट प्रोग्राम है, इन दोनों प्रोग्रामों को क्यों नहीं आप इस योजना के साथ जोड़ने का काम करते, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा पानी की किल्लत, जो हमें देखने को मिल रही है, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा पानी को इस योजना के साथ जोड़कर स्टोरेज कर पाएँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके मंत्रालय द्वारा एक प्रश्न के जवाब में कहा गया कि हरियाणा को 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के माध्यम से 520 रोड वर्क्स मिले, जिनकी लम्बाई 5,561 किलोमीटर है और अब तक 5,522 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। जो 40 किलोमीटर बची है, वह भी मई, 2016 के बाद, शायद सैंक्शंड है या पूरी हो चुकी है। ऐसे प्रदेश, जो इस योजना को पूरी तरह से यूटीलाइज़ करते हैं, जहां स्टेट शेयर पूरे तौर पर दिया जाता है, तो क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय उन प्रदेशों को कोई इंसेंटिव देने का काम करेगा, मोटीवेट करने का काम करेगा, ताकि अन्य प्रदेश उन प्रदेशों को देखकर इस योजना का लाभ ज्यादा उठाएं। ऐसे प्रदेश, जो अपना स्टेट शेयर इस योजना में नहीं डालते, क्या उनको पीनेलाइज़ करने का भी कोई प्रावधान आप करने जा रहे हैं?

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि मार्च, 2000 तक 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' की जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं, वे 47,552 करोड़ रुपए की हैं? वर्ष 2015-16 के जो आपके 33,000 किलोमीटर के टारगेट्स थे, क्या उमें से आप वर्ष 2015-16 में मात्र 25,000 किलोमीटर ही कवर कर पाए? अगर आप कम कर पाए तो इसका कारण क्या था? इससे आप इस सदन को जरूर अवगत कराने का काम करें।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब से हमने स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर डालने का काम किया है, उसके बाद जो आपके द्वारा फाइनैंशिएल एलॉकेशंस किए गए हैं, क्या उनमें कोई कटौती हुई है? क्या यह सच है कि कई प्रदेशों का जो इंस्टीच्यूशनल आउटले है, वह आपकी इस योजना को पूरे तौर पर यूटीलाइज़ नहीं कर पाता?

क्या यह भी सच्चाई है कि कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनके अंदर प्रदेश सरकार द्वारा या हमारे जैसे सांसदों के द्वारा आपको रिकमेंड की गयी सड़कों को आपने इसलिए रिजेक्ट करने का काम किया है कि जो आपकी गाइडलाइंस है, उससे वह केवल आधा मीटर या पौना मीटर छोटी पड़ती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस योजना को हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय में डालने का काम किया है, तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच्चाई है कि आपके विभाग के अंदर टेक्नीकल स्टाफ की कमी देखने को मिलती है, जिनके कारण आज जो प्रोजेक्ट्स हैं, वे पूरी तरह से न तो कम्प्लीट हो पाते और न ही प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बाद इंस्पेक्शन हो पाती? असलियत में क्या यह एक प्रॉब्लम आती है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली मॉनीटर नहीं कर सकते?

महोदय, उस दिन एक बहुत बड़ा सवाल सदन में उठा था कि 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का रोल क्या होता है? आपके ही मंत्रालय की वेबसाइट में लिखा था -

"The Core Network and District Rural Roads Plan are to be finalized by the District Panchayat after consultation with hon. Members of Parliament."

बड़े दुःख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में तीन जिले आते हैं और अब तक केवल मात्र जींद जिले के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने, डी.सी. ने मुझसे बात की, क्योंकि आपसे पहले जो इस विभाग के मंत्री थे, उनका गृह जिला जींद था। उसके बावजूद किसी भी अधिकारी ने मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स की रिकमेंडेशन को आपके विभाग तक पहुंचाने का काम नहीं किया? इसके अंदर प्रोवीजन है कि "The SE, PMGSY and the hon. Members of Parliament would conduct joint inspection of PMGSY road works once in 6 months." आज मुझे सांसद बने सवा दो साल हो गए। मैं दुःख के साथ बता रहा हूं कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अंदर चार सड़कें इस योजना के माध्यम से सवा दो साल में बनी हैं। मुझ से न तो उनके बारे में सुझाव लिए गए और न ही उनके पूरा होने के बाद कहीं भी कोई इंस्पेक्शन की बात आपके सीनियर इंजीनियर ने करने की बात की। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि laying of foundation stone and inauguration of PMSGY roads is to be done by hon. Member of Parliament, Lok Sabha.

माननीय मंत्री जी, सवा दो साल में चार सड़कें मेरे लोक सभा क्षेत्र में बनी हैं। उन चार सड़कों का ब्यौरा तब आया, जब मेरा यह क्वैश्चन तीस मिनट का सदन में लगा। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे निवेदन किया कि पिछले तीन सालों में जितनी सड़कें बनी हैं, उसके बारे में आप मुझे ब्यौरा देने का काम करिए। तब डिप्टी कमिश्नर ने मुझे आग्रह किया कि आपके यहां चार सड़कें बनी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि इस सदन की गरिमा की बात है कि आप तुरन्त प्रभाव से मंत्रालय से इंस्ट्रक्शंस अलग-अलग जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन तक पहुंचाने का काम करिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में कांक्ल्यूड कर रहा हूं। आप सभी मेंबर आफ पार्लियामेंट से ऐटलीस्ट जो गाइडलाइंस हैं, उसके माध्यम से प्रॉपर डिस्कशन आप करने का काम करिए। माननीय मंत्री जी से अंत में निवेदन करूंगा कि आपके मंत्रालय को मेरी ओर से जींद जिले के अंदर 12 सड़कों का, भिवानी जिले में 5 सड़कों का और हिसार जिले के अंदर 9 सड़कों का एक निवेदन भेजा हुआ है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और हरियाणा प्रदेश को थोड़ा एडीशनल सपोर्ट इस योजना के तहत देने का काम करेंगे तो हिसार लोक सभा क्षेत्र के अंदर भी मुझे विकास कार्यों की गति जरूर थोड़ी तेज देखने को मिलेगी।

मैं उम्मीद रखूंगा कि जो सवाल मैंने आज आपके संज्ञान में लाने का काम किया है, उसका जरूर इस सदन के अंदर आप पूरी तौर पर जवाब देने का काम करेंगे। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Other Members can only put questions and not give any speech. Therefore, I request the Members, whose names I am going to call, only to put questions.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी स्पीकर साहब, जब इस हाउस में यह क्वैश्चन आया था तो मैंने हाफ एंड ऑवर की डिस्कशन के लिए कहा था। मेरा एक नंबर पर प्रश्न आया था, लेकिन मैं उस दिन नहीं आया, इसलिए आज मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपने इसकी मुझे परमीशन दी है।

वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस स्कीम को शुरू किया तो उनका उद्देश्य था, गावों को शहरों के साथ जोड़ना, शहरों की सुविधाएं गांवों के लोगों तक ले जाना, यह एक अच्छा काम था। मुझे इस बात का गर्व है कि इस देश में सबसे पहले गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए शिरोमणि अकाली दल की सरकार जब पंजाब में आई, वर्ष 1967 में सबसे पहले देश में गांवों को लिंक रोड से जोड़ा गया। आज पंजाब के मुकम्मल गांव वर्ष 1967-68 से जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि जब यह पीएमजीएसवाई आई, इसकी गाइडलाइंस ऐसी थीं कि इनमें हमें कोई कम्पन्सेट नहीं किया गया। हमारी स्टेट के लिए कुछ विशेÂ◌ा प्रावधान नहीं किए गए। उसका फायदा पंजाब को बहुत कम हुआ। आज पंजाब के पास एक इंच सड़क भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाने के लिए नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों ने इतना काम किया, उनको कम्पन्सेट किया जाए।

अभी चौटाला साहब कह रहे थे कि हरियाणा, पजांब में कम पैसा आया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप यह कर सकते हैं कि सेंट्रल पूल में सबसे ज्यादा अनाज जो प्रदेश डालता है, उसको पैसा बहुत दिया जाए। ऐसा होना चाहिए। इसमें दिक्कतें हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। इसकी जो चढ़ाई है, वह दस मीटर रखी गई है। पंजाब की जमीन कॉस्टली है। हमारे पास तो एक इंच भी जमीन नहीं है। वहां ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रॉलियां चलती हैं, हार्वेस्टर कंबाइन चलती हैं। वहां हमारी लिंक रोड टूट जाती हैं। आप स्पेसिफिकेशन को चेंज करिए। जो पुराने ब्रिजेज बने हुए हैं, उनको रीमॉडलिंग करने के लिए पैसा चाहिए।

अपग्रेडेशन के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पांच सौ की पॉपुलेशन की सीमा रखी गई है। हमारा इंटर-स्टेट बार्डर है। वहां डेरे हैं, ढाबे हैं। वहां लोग दूर-दूर रहते हैं। वहां 25-30 घर होते हैं। क्या उनके लिए 250 की गिनती पॉपुलेशन में तय करने को सरकार तैयार है?

दूसरा, हिल एरिया में इसकी सीमा 250 है। पंजाब का, मेरी कांस्टीच्युएंसी का 70 पर्सेंट सेमी हिल एरिया है।

18.00hours

हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जैसे गुरदासपुर, होशियारपुर सैमी-हिल हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You should not make a lengthy speech.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके लिए नॉर्म्स चेंज करेगी? कितना अन्याय हो रहा है। हिल्ली स्टेट्स के लिए 90 प्रतिशत राशि सैंटर डालती है और 10 प्रतिशत स्टेट्स डालते हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, it is six o'clock. We are extending the time of the House till the Minister's reply is over.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I have already told you to put only a question. You should not make a speech.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: महोदय, यह बहुत जरूरी है। कैनाल और ड्रेन्स के बैल्ट में जमीन बचेगी। उन्हें पक्का किया जाए। उनके लिए गाइडलाइन्स चेंज की जा सकती हैं। किसानों के पास जो जमीनें बच जाती हैं, उनमें पेड़ लगाए जाएं। किसानों को शेयर दिया जाए। इससे किसान अपना पेट पाल सकेंगे। उन्हें आमदनी होगी।...(व्यवधान)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me a chance to speak. Sir, actually, this was my supplementary question on that day and when so many Members wanted to seek clarifications, the hon. Speaker suggested that it could be taken up as an Half-an-Hour Discussion. So, please allow me to speak for a few minutes.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have to put only the question and not give a speech.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN : Sir, on that day, I said that PMGSY is being implemented in my District as well as in many other places, but nobody had any consultations with us. I have written two letters to the Rural Development Minister with some demands. I have also written to the District Magistrate, as also discussed this issue in the Zilla Parishad meeting in the presence of the Executive Engineer, but nobody listened to me. Two years have passed since then. Then, who will protect our democratic rights? That was my actual question.

In response to my question, the hon. Minister who is present here has given me the answer. The answer was given on 28th of July 2016. He has written that suggestions of the elected representatives, including Members of Parliament, are duly taken into account and given full consideration, while finalizing the District Rural Roads Plan and core network. The proposals of the hon. Members of Parliament are also given full consideration in District Panchayat during finalization of Annual Reports under PMGSY. These are clear guidelines. I have written to the Rural Development Minister also, but nothing has been done.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You ask the Minister about what you want.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: I want to get the answer to this question: "Who will protect our democratic rights?" If our right is not protected, then why have they issued these guidelines?

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Premachandran, you should only put the question.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am putting it in the form of a question only. â€¦ (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, it is a very important question, so please give some time to everybody.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, on that day, the hon. Minister answered the question by stating that the Members of Parliament are the Chairmen of the Monitoring and Vigilance Committees. But the pertinent fact to be noted is that the Members of Parliament do not have any role in the selection of the roads because of the criteria.

I will tell you about my own experience. Some agency will be entrusted with the task of conducting a survey of the roads. They will conduct an aerial survey and determine the roads, and marks will be awarded to those roads. What is the basic intention of the PMGSY? It is to connect interior roads or very, very remote roads; rural connectivity has to be there. They will give the marks on the basis of number of schools, hospitals, motorable roads, habitation and all these things. It means the very purpose of the Prime Minister's Grameen Sadak Yojana is being lost. Therefore, the selection of roads has to be done in consultation with the Members of Parliament. The Member of Parliament has no role in the selection of the roads. I am the Chairman of the Vigilance and Monitoring Committee, but I have nothing to do. These authorities are not having any consultation or discussion with us.

In the State of Kerala, the first phase is already complete. In the second phase, about 105 roads covering 420 kilometres and Rs.425 crore have already been approved by the Inter-Ministerial Empowered Committee. It is pending before the Ministry. That has to be sanctioned.

Also, we have not been able to take up maximum number of roads in the first phase because of so many technical difficulties. So, that has to be compensated in the second phase. We are demanding 2000 kilometres of roads under the PMGSY. Since we were not able to take up the roads in the first phase, compensation has to be made for that. These are the two supplementary questions which I would like to ask.

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहां जब दिनांक 21 जुलाई, 2016 को प्रश्न किया गया था, उस समय, हमारे मित्रों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न थे। उन प्रश्नों का समाधान, प्रश्न काल में नहीं हो सकता था, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा रखी जाए, ताकि सभी लोग इस प्रश्न के बारे में ठीक प्रकार से चर्चा कर सकें।

महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दुष्यन्त चौटाला जी, चन्दू माजरा साहब, बदरुद्दीन जी, प्रेमचन्द्रन जी, अधीर रंजन जी और अन्य अनेक सदस्यों ने अपने-अपने अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसा श्री चौटाला जी ने बताया, निश्चित रूप से आप सबके ध्यान में है कि सड़क हमारे देश के विकास के लिए सबसे प्राथमिक साधन है। दिनांक 25 दिसम्बर, 2000 को जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने यह संकल्प किया था कि "प्रधान मंत्री सड़क योजना" के माध्यम से इस देश के लाखों गांवों को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम सब भलीभांति जानते हैं कि गांवों में कितनी भी बहुमूल्य चीज हो, अगर जाने-जाने का साधन नहीं है, तो उस बहुमूल्यता की कोई कीमत नहीं है। अगर जाने-आने का साधन मिल जाए, तो निश्चित रूप से आम आदमी और गरीब किसान को उसकी उपज की उचित कीमत मिल जाती है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ती है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रश्न तो अनेक प्रकार के आए हैं, मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन वर्ष 2000 से, जब से यह कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है, तब से लगातार बड़ी मात्रा में सड़कों का निर्माण हुआ है और लोगों के जीवन स्तर में निश्चित रूप से बदलाव आया है। बीते कुछ दिनों में, निश्चितरूप से थोड़ी-बहुत ऊपर-नीचे परिस्थितियां रही हैं, जिनके कारण शिकायतें और इसकी प्रोग्रेस थमी है। इसी के कारण बातें उठती हैं, लेकिन जो पात्र बसावटें थीं, वे 1,83,599 थीं, जिनमें 1,51,098 बसावटों को स्वीकृत किया गया है। यह कुल संख्या का लगभग 82 प्रतिशत है। सड़कों से जुड़ी जो बसावटों की संख्या है, वह 1,19,220 है। यह कुल जो संख्या है, उसका 65 प्रतिशत है और स्वीकृत कार्यों की संख्या 1,48,742 है। स्वीकृत सड़क कार्यों की लम्बाई 5,65,511 किलोमीटर है। इसमें पूरे हो चुके सड़क कार्यों की जो संख्या है, वह 1,24,634 है। पूरे हो चुके सड़क कार्यों की जो लम्बाई है वह 4,81,354 किलोमीटर है। जो राशि स्वीकृत की गई है वह 1,91,317 करोड़ है और जो रिलीज की गई है वह 1,39,207 करोड़ है और जो अभी तक व्यय की गई धनराशि है, वह 1,48,543 करोड़ रुपए है।

महोदय, निश्चित रूप से यह सच है कि पिछले दिनों जब थोड़े-बहुत बजट की कमी दिखी, जैसा चौटाला जी ने भी उद्धृत किया और बाकी सब लोगों ने भी कहा, उसमें प्लानिंग कमीशन ने जो लक्ष्य

तय किया था, उसके अनुसार निश्चित रूप से आबंटन नहीं मिला और इसलिए आप देखेंगे कि वर्ष 2012-13 में जो 8,885 करोड़ रुपए मिले, वर्ष 2013-14 में 9,805 करोड़ रुपए मिले और वर्ष 2014-15 में 14,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अभी आप देख रहे हैं कि 19,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट में रखे गए हैं। जहां तक 60+40 तथा 90+10 की बात माननीय सदस्यों ने कही है, तो वह निश्चित रूप से आप सबके ध्यान में है कि पिछली बार जब 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उस समय 32 से 42 परसेंट धनराशि राज्यों को देने की उसमें अनुशंसा थी। सरकार ने उस अनुशंसा को माना। इस कारण राज्यों को जाने वाली राशि काफी बढ़ गयी। इसके बाद नीति आयोग ने मुख्य मंत्रियों की एक समिति बनायी, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह जी थे। उन्होंने सब राज्यों से एक लंबा विचार-विमर्श किया और लंबे विचार-विमराश के बाद यह तय हुआ कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, भिन्न-भिन्न कामों में राज्य का अंश और केन्द्र का अंश इस अनुपात में होगा। प्रधान मंत्री सड़क योजना में मैदानों क्षेत्रों के लिए 60-40 का रेशियो है और पर्वतीय क्षेत्र/ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90-10 के रेशियो से दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा और पंजाब का सवाल है, माननीय चन्दूमाजरा जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब उन्होंने इस बारे में कहा था। मैं उन्हें कहना चाहता हूं और इसकी प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने पी.एम.जी.एस.वाई. का फर्स्ट चरण पूरा कर लिया है और वर्ष 2017, मार्च तक पी.एम.जी.एस.वाई. का सैकिंड चरण भी पूरा कर लेंगे। मैं निश्चित रूप से इन राज्यों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप हमें क्यों शिक्षा दे रहे हैं? हमने काम किया इसलिए आप शिक्षा दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक में हमने काम किया ...(व्यवधान) आप इसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : खड़गे जी, यह बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इससे इंकार नहीं किया कि आपने काम नहीं किया। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, चूंकि आपने सवाल उठाया है तो जब 25 दिसम्बर, 2000 को इस सड़क योजना का आरंभ हुआ था तब यह तय था कि हजार प्लस और पांच सौ प्लस के साथ-साथ ट्राइबल क्षेत्र की 250 प्लस की सड़कें वर्ष 2007 तक पूरी हो जायेंगी। वर्ष 2007 के बाद अगर वर्ष 2016 आया, तो यह क्यों आया, इसका आत्मवलोकन भी निश्चित रूप से हमें करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में वर्ष 2011 से 2014 तक देखें तो प्रतिदिन 73 किलोमीटर सड़क बनती थी। वर्ष 2014 से 2016 में हम कोशिश करके इसे प्रतिदिन 100 किलोमीटर बना रहे हैं और आने वाले समय में 133 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बने, यह हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सबके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि पी.एम.जी.एस.वाई. सैकिंड अपग्रेडेशन वाला मामला है, उसके अंतर्गत सरकार 50 हजार नयी सड़कें 33 हजार करोड़ रुपये लगाकर बनाने जा रही है। उसका लाभ भी निश्चित रूप से आम लोगों को मिलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों नयी टेक्नोलॉजी का उपयोग काफी कम हुआ। मुझे लगता है कि चाहे वह फ्लाई ऐश, वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड वेस्ट या नेनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सबका उपयोग पिछले समय में मात्र 800 किलोमीटर सड़क बनाने में हुआ। हम लोगों ने इसे बढ़ाकर ढाई हजार किलोमीटर किया है और आने वाले समय में इसे और बढ़ायें, यह भी हम कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी सामने आयी है कि कई स्थानों पर सड़क 6 किलोमीटर की मंजूर है, लेकिन व्यवहार में कम बनी है। मैं उससे इंकार नहीं करता। जहां इस प्रकार से बात आती है तो वहां की शिकायत का निश्चित रूप से निराकरण और जांच भी कराई जाती है। लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक जितनी भी सड़कें बनी हैं, उन सब सड्कों की हम सेटेलाइट इमेज के माध्यम से जांच करा रहे हैं। उसमें बहुत सारी सड़कों की बात है। जैसे हिना बहन उस दिन बोल रही थीं तो उनके क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की भी सड़कें आ रही हैं। अभी चार प्रांतों में हमने 10 जिले पायलट प्रोजैक्ट के रूप में लिये हैं। इसके अच्छे परिणाम रहेंगे तो हम निश्चित रूप से इसे और बढ़ायेंगे। हम इन सारी चीजों को राज्यों के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने अगर उसका पेमेंट गलत तरीके से किया है तो वह वसूली की जायेगी। अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की है तो वह एक अलग बात है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर कहीं भी इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी होगी, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।

प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क के बारे में शिकायत की दÂिष्ट से विभाग ने "मेरी सड़क" नाम से एक एप बनाया है। इस मोबाइल एप में कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इस पर लगभग 900 शिकायतें प्रतिमाह प्राप्त हो रही हैं। इसमें हम लोगों ने तय किया है कि जो शिकायत मोबाइल एप में आएगी, सात दिन के भीतर शिकायतकर्ता को यह बताया जाएगा कि जिस सड़क के बारे में आपने शिकायत की है, वह प्रधानमंत्री सड़क है या अन्य किसी विभाग की सड़क है। अगर वह प्रधानमंत्री सड़क है तो सात दिन के भीतर उनको मालूम पड़ जाएगा और 60 दिनों के भीतर उस शिकायत का निराकरण मंत्रालय करेगा। यह हम लोगों ने निश्चित रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री दुष्यंत चौटाला एवं बाकी मेंबर्स ने भी सांसदों की भूमिका की बात अपने भाÂषण में कही है। उनको यह मालूम है कि सांसद की भूमिका के केन्द्र सरकार की तरफ से प्रावधान हैं, लेकिन कई राज्यों में निश्चित रूप से उन प्रावधानों का जितना पालन होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। यह चिन्ता की भी बात है और यह हम लोगों के संज्ञान में है। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि सांसद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, अगर उनके लोक सभा क्षेत्र में कोई योजना चल रही है तो निश्चित रूप से वह उसके संज्ञान में होनी चाहिए, उसे समीक्षा का अधिकार होना चाहिए। समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित होनी ही चाहिए। इसलिए आप सभी ने देखा होगा कि मैं पिछले दिनों लोक सभा में वक्तव्य भी दिया, मेरा पत्र भी आप सभी लोगों को मिला होगा, हम लोगों ने "दिशा " नामक एक समिति का निर्माण किया है और केन्द्र सरकार की 28 योजनाओं को उसमें समाहित किया गया है। साल में कम से कम उसकी चार बैठकें हों, अगर इससे अधिक हों तो केन्द्र सरकार को अच्छा लगेगा, लेकिन कम से चार बैठकें - फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार अवश्य होनी ही चाहिए। इसलिए इस पर बहुत बल देकर राज्यों से आग्रह किया गया है। इस साल में मुझे लगता था कि सांसदों की कम से कम दो बैठकें अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, 13 अगस्त को पहली बैठक है, आप सभी लोग जरूर उस बैठक में जाएं। मैं भी यहां से इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि वह बैठक ठीक प्रकार से सम्पन्न हो जाए, हमारे सांसदगण मॉनीटरिंग कर सकें, देख सकें। ...(व्यवधान)मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him complete first.

...(*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था को मजबूत रखना और इसका पालन करना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है और राज्यों का भी कर्त्तव्य है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा राज्यों को जाता है, उसके बाद राज्य वह पैसा, जो उनकी नोडल एजेंसी होती है, उसे देते हैं, फिर वह पैसा जिलों में जाता है। इसलिए यह पैसा राज्यों में ही जाएगा।...(व्यवधान) मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप प्रश्न कर लीजिए।

दूसरे, राज्यों को पैसा देने की व्यवस्था दो चरणों में है। पहले चरण में हम राज्य को 50 प्रतिशत पैसा दे देते हैं, उससे कुछ भी नहीं पूछते हैं। इतना जरूर देखते हैं कि पिछली बार का अधिशेÂष कितना है। राज्य को जब हम 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त देते हैं, उस समय यह देखते हैं कि उसमें राज्य का अंश आया या नहीं और उस योजना की प्रोग्रेस कैसी है। इसलिए राज्यों को पैसे देने का जो मामला है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से किसी भी राज्य के मामले में कभी भी किसी प्रकार की कोताही होगी, हमारे यहां से एक दिन का भी डिले नहीं होग, हम लगातार राज्यों से सम्पर्क करते हैं, सम्पर्क रखते हैं, सभी चीजों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी फाइल अगर हमारे यहां आएगी तो एक दिन का भी डिले नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर गुणवत्ता की जांच के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था है। एक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जनरल मैनेजर की यह जवाबदेही है। दूसरे, स्टेट क्वालिटी मॉनीटर भी इसको मॉनीटर करते हैं और तीसरा है नेशनल क्वालिटी मॉनीटर। दो चरण राज्यों के साथ है। सामान्यतः जो जनरल मैनेजर या एविजक्यूटिव इंजीनियर है, उसकी यह जवाबदारी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एवार्ड होगा तो वह कॉन्ट्रैक्टर से मिल कर वहां एक लैब का निर्माण करेगा, उस जिले में उसकी मिट्टी की जांच होगी, जो मैटेरियल वहां लगाया जा रहा है, उसकी जांच होगी, यह उसकी जवाबदारी है।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा।

अगर कोई शिकायत आती है तो स्टेट क्वालिटी मॉनिटर जाते हैं। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर भी उसको मॉनिटर करते हैं, उसमें जो शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है, उसका भी निराकरण होता है और तीसरा चरण नेशनल क्वालिटी मॉनिटर का है। नेशनल क्वालिटी मॉनिटर भी पूरे देश भर में प्रवास करते हैं और वे जिस प्रोजैक्ट में जाते हैं, उस प्रोजैक्ट पर किसी भी प्रकार की खामी आती है, हम लोगों ने उसको तीन श्रेणियों में बांटा है, संतोÂषजनक और सुधार की आवश्यकता, तीसरा असंतोÂषजनक, जहां असंतोÂषजनक पाया जाता है, उसकी रिकवरी भी केन्द्र सरकार उस राज्य के उस प्रोजैक्ट से करती है। केन्द्र सरकार ने ऐसे 80 करोड़ रुपया पेनाल्टी के रूप में, पेनाल्टी लगा कर अर्जित किया है।

मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सांसदगण अगर किसी भी विशेÂष सड़क में उनको गुणवत्ता की शिकायत है तो वह मुझे, मेरे मंत्रालय को या राज्य मंत्री जी को लिख कर दें, मैं उस सड़क का, जिसको सांसद जी चाहेंगे, उस पर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर भेजेंगे, उसकी जांच करायेंगे और जो कार्रवाई संभव हो सकती है, वह पूरी कार्रवाई करेंगे। पैसा वसूल करने की जरूरत है तो हम लोग पैसा भी वसूल करेंगे। उसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होगी।

मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मॉनिटरिंग समिति की दिशा हम लोगों ने बनाई है, आप इत्मीनान के साथ उसकी बैठक करिए, प्रधान मंत्री सड़क की समीक्षा करिए। हम लोगों ने राज्य सरकार को लगातार माननीय सांसद की भूमिका के बारे में लिखा है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, तब से पांच राज्यों के माननीय सांसदों की बैठक मैं कर चुका हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है। आज भी चार प्रान्तों के सांसदों की बैठक है। बैठक में जो माननीय सांसद विÂषय उठा रहे हैं, उसके अंतर्गत भी जो निर्देश दिये जा सकते हैं, वह निर्देश देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : आप किसी स्टेट में चले जाइए। ...(व्यवधान)

श्री दुÂष्यंत चौटाला : आपने मेरे पृश्न का जवाब नहीं दिया।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, what the hon. Members are expecting to know from you is this. What would be their role in that programme because most of the State Governments are not respecting that? Hon. Members are expecting a reply from you on that. What instructions are the Central Government going to give to the authorities concerned regarding the role of the MPs in that programme?

नरेन्द्र सिंह तोमर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिया है, मैं लोक सभा में वक्तव्य के माध्यम से, सांसदों को पत्र भेज कर, सांसदों को ई-मेल भेज कर और आज भी इस सदन में कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने मॉनिटरिंग की एक सशक्त व्यवस्था की है। सिर्फ ग्रामीण विकास ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार की 28 योजनायें, जिनकी मॉनिटरिंग दिशा समिति के माध्यम से माननीय सांसदगण करेंगे और उसका क्रियान्वयन हो, उसकी बैठक हो, इसको कड़ाई के साथ, हम राज्यों के साथ मिल कर करायेंगे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

18.29 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, August 03, 2016/Shravana 12, 1938 (Saka).

---

* ण्ड्ढ म्श्र्द अ ड्ढद्धत्ड्ढड्ड ड्डद्दध्ड्ढ ण्ड्ढ दड्डर्ड्ढ द्द ड्ड ग्ड्ढथ्ड्डड्ढद्ध त्दड्डत्ड्डय्ड्ढद्म ण्ड्डद्य ण्ड्ढ द्र्वड्ढद्य्त्द्द ड्ढद्म ड्डह्यद्वड्डथ्न्र् ड्डत्ड्ढड्ड द्द ण्ड्ढ ढथ्द्दद्ध द्द ण्ड्ढ Hद्दद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ड्डद्य ग्ड्ढथ्ड्डड्ढद्ध.

* ग़्द्दद्य ढ्ड्ढहद्दद्धड्डड्ड्ढड्ड.

*ग़्द्दद्य ढ्ड्ढहद्दद्धड्डड्ड्ढड्ड

* Eदथ्त्द्मर्ण् य्द्धड्डदथ्ड्डय्त्द्द द्द ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्दद्धश्र्तदड्डथ्न्र् ड्डड्ड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द व्ड्डदथ्ड्ड.

* Eदथ्त्द्मर्ण् य्द्धड्डदथ्ड्डय्त्द्द द्द ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्दद्धश्र्तदड्डथ्न्र् ड्डड्ड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द ग्ड्डद्धड्डय्ण्त्

* Eदथ्त्द्मर्ण् य्द्धड्डदथ्ड्डय्त्द्द द्द ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्दद्धश्र्तदड्डथ्न्र् ड्डड्ड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द एम्ड्डर्ड्ढम्ड्ढ.

* ग़्द्दद्य ढ्ड्ढहद्दद्धड्डड्ड्ढड्ड.

* ग़्द्दद्य ढ्ड्ढहद्दद्धड्डड्ड्ढड्ड.

* Eदथ्त्द्मर्ण् य्द्धड्डदथ्ड्डय्त्द्द द्द ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्दद्धश्र्तदड्डथ्न्र् ड्डड्ड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द घ्द्वदर्ड्डडत्.